न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 04/2022

1. भगवती पत्नी ख्याली
2. राहुल
3. लोकेश पिसरान ख्याली
4. यादराम
5. बिजेन्द्र पिसरान नन्नू
6. वीरवती
7. ललता
8. अनीता पुत्रीयान नन्नू
9. रामश्री पत्नी नन्नू
10. बाबूलाल
11. रामलाल
12. सोहनलाल
13. हरभजन
14. छोटेलाल पिसरान घूडी
15. भजनी पुत्र गोपाल (मृत्तक)
    - 15/1 मदन लाल
    - 15/2 रमेश
    - 15/3 सुरेश   पिसरान भजनी
    - 15/4 मायावती
    - 15/5 तारावती
    - 15/6 गीता
    - 15/7 बबीता पुत्रीयान भजनी
16. रामदयाल
17. पूरन पिसरान मंगू
18. [illegible]मा पत्नी किशनसिंह पुत्र मंगू
19. भीम सिंह
20. अर्जुन पिसरान किशनसिंह
21. सन्ता
22. कान्ता
23. विमला पुत्रीयान किशनसिंह
24. लखन लाल पुत्र ठाकुर पुत्र मंगू
25. रविता पुत्री ठाकुर लाल जातियान कुम्हार निवासी सांवलेर तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

18/12/23 मुताबिक आदेश दि० 18/12/23 आराजी खसरा नं० 1272/0.36 के स्थान पर 2272/0.36 संशोधित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. गुड्डी पत्नी मानसिंह
3. दीपक पुत्र मानसिंह
4. मनीषा
5. सीमा पुत्रीयान मानसिंह जाति कुम्हार निवासी सांवलेर तहसील पहाडी (भरतपुर)

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :— 05/08/2022

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि पक्षकारान मुकदमें में तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3,4,5 नाबालिग है जो अपनी माता के संरक्षण में रहकर परवरिश पा रहे है। इनके अलावा अन्य कोई पक्षकार नाबालिग एवं फातरूल अक्ल नहीं हैं। आराजी खसरा नम्बर साविक 1601/0.35, 1602/0.36, 1669/0.38, 1670/0.69, 1679/0.32, 1680/0.34 हाल खसरा नम्बर 2271/0.35, 1272/0.36, 2348/0.38, 2349/0.69, 2358/0.32, 2359/0.34 बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी में स्थित है। जमाबन्दी में दर्ज सहकाश्तकार नन्नू व मानसिंह पिसरान रूडा फौत हो चुके है जिनके वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के हित व हक समान है तरतीवी प्रतिवादीगण वक्त दावा दायरी उपस्थित नहीं हो सके इसलिए उन्हे मुकदमें में तरतीवी प्रतिवादीगण बनाया गया है। आराजी मुत0 पूर्व में केसरिया पुत्र सुल्लड की मौरूसी का रकबा था जिस पर केसरिया ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक वाहैसियत खातेदार के रूप में काश्त की केसरिया के मरने के बाद विरासतन आराजी मुताबिक हिस्सा रूडा , मंगू , घूडी व भजनी के नाम दर्ज हुई जिन्होने काश्त की और अब स्वयं वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड काबिज काश्त है और मौके पर हाल में कब्जा है। आराजी मुत0 बुजुर्गान की आराजी है राजस्थान टीनैन्सी एक्ट 1955 के लागू होने के पूर्व से ही वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान केसरिया पुत्र सुल्लड की मौरूसी का रकबा था उसके मरने के बाद अब हाल में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आज भी गैरखातेदारी का इन्द्राज होता चला आ रहा है। मुताबिक कानून वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिए था। जमाबन्दी में दर्ज मृत्तक किशन सिंह , ठाकुर लाल , मानसिंह , नन्नू के वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है राजस्व रिकॉर्ड में मृत्तक किशन सिंह, ठाकुर लाल, मानसिंह, नन्नू के स्थान पर उनके वारिसान को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। वादीगण को दावा पेश करने

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गैर मौरूसी के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 01/08/22 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही वादीगण बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे अब वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मौरूसी के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

3 :– दादरसी ।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 सोहन लाल , पी0डब्लू0 2 अर्जुन के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16, 2017–20, 2018–21, 2528, 2033–36, 2037–40, 2046–49, 2050–53 व हाल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 व नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या :– 1</u> आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है। मुताबिक नकल

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

जमाबन्दी सम्वत् 2013–16 आराजी केसरिया बल्द सुल्लड के नाम गैर मौरूसी दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2025–28 आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता के नाम गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है। आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. **दादरसी** :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 1601/0.35, 1602/0.36, 1669/0.38, 1670/0.69, 1679/0.32, 1680/0.34 हाल खसरा नम्बर 2271/0.35, 1272/0.36, 2348/0.38, 2349/0.69, 2358/0.32, 2359/0.34 बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 04/2022

1. भगवती पत्नी ख्याली
2. राहुल
3. लोकेश पिसरान ख्याली
4. यादराम
5. बिजेन्द्र पिसरान नन्नू
6. वीरवती
7. ललता
8. अनीता पुत्रीयान नन्नू
9. रामश्री पत्नी नन्नू
10. बाबूलाल
11. रामलाल
12. सोहनलाल
13. हरभजन
14. छोटेलाल पिसरान घूडी
15. भजनी पुत्र गोपाल (मृत्तक)
    15/1 मदन लाल
    15/2 रमेश
    15/3 सुरेश पिसरान भजनी
    15/4 मायावती
    15/5 तारावती
    15/6 गीता
    15/7 बबीता पुत्रीयान भजनी
16. रामदयाल
17. पूरन पिसरान मंगू
18. रामा पत्नी किशनसिंह पुत्र मंगू
19. भीम सिंह
20. अर्जुन पिसरान किशनसिंह
21. सन्ता
22. कान्ता
23. विमला पुत्रीयान किशनसिंह
24. लखन लाल पुत्र ठाकुर पुत्र मंगू
25. रविता पुत्री ठाकुर लाल जातियान कुम्हार निवासी सांवलेर तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

18/12/23 मुताबिक आदेश दि० 18/12/23 आराजी
खसरा नं० 1272/0.36 के स्थान पर
2272/0.36 संशोधित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. गुड्डी पत्नी मानसिंह
3. दीपक पुत्र मानसिंह
4. मनीषा
5. सीमा पुत्रीयान मानसिंह जाति कुम्हार निवासी सांवलेर तहसील पहाडी (भरतपुर)

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि **वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 1601/0.35, 1602/0.36, 1669/0.38, 1670/0.69, 1679/0.32, 1680/0.34 हाल खसरा नम्बर 2271/0.35, 1272/0.36, 2348/0.38, 2349/0.69, 2358/0.32, 2359/0.34 बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।**

आज ..... X ...... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X .... तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05/08/ सन् 2022 को जारी की गई ।

दस्तखत ....

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	......			फीस कमिश्नर	......		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		

Scanned with OKEN Scanner